<u>न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/त्वरित न्यायालय/जे०एम०, कासगंज।</u>

प्रकीर्णवाद संख्या–129/2022

यशपाल बनाम रामकिशोर।

<u>दिनांक–09.07.2026</u>

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 4ए1 अंतर्गत आदेश 9 नियम 4</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 4ए1 पर सुना गया।

प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 4ए1 मय शपथ पत्र 5सी2 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी०पी०सी० प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि प्रार्थी गरीब व्यक्ति है और काफी समय से बीमार चल रहा है। प्रार्थी दिनांक 31.10.2022 को अत्यधिक बीमार होने के कारण माननीय न्यायालय में निर्धारित तिथि उपस्थित नहीं हो सका और न ही अपने अधिवक्ता महोदय को सूचित कर सका। प्रार्थी/वादी की अनुपस्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी का वाद निरस्त कर दिया गया है। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है और प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर अपने वाद की पैरवी करता रहेगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तजबीजसानी अंदर मियाद है। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.10.2022 को किया आदेश बने रहने से प्रार्थी/वादी की सख्त हकतलफी व कसीर नुकसान है। न्यायहित में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मंसूख किया जाकर मुकदमा को गुणदोष पर निर्णीत किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि न्यायहित में प्रार्थना पत्र तजबीजसानी स्वीकार किया जाकर मूलवाद संख्या उपरोक्त लिखित आदेश दिनांक 31.10.2022 को निरस्त किया जाकर वाद को पुनः मूल नंबर पर स्थापित करें जिससे वादी अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके और मुकदमा गुणदोष के आधार पर निर्णीत हो सके।

सुना तथा प्रकीर्ण पत्रावली एवं मूलवाद की पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संबंधित मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी उक्त मूलवाद संख्या 105/2016 में वादी मुकदमा है। मूलवाद संख्या 105/2016 यशपाल बनाम रामकिशोर आदि न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2022 को वादी मुकदमा की अनुपस्थिति में निरस्त किया गया था। प्रार्थी/आवेदक द्वारा आदेश दिनांक 31.10.2022 को अपास्त कराये जाने तथा मूलवाद संख्या 105/2016 का गुणदोष पर निस्तारण कराये जाने याचना की गयी है। उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया है। नैसर्गिग न्याय का सिद्धान्त भी है कि वाद के सम्यक न्याय–निर्णयन हेतु पक्षकारों को सुनवायी का पूर्ण अवसर देते हुए वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र 4ए1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र कागज 4ए1 स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांक 31.10.2022 अपास्त किया जाकर मूलवाद संख्या 105/2016 अपने मूल नंबर पर कायम हो। मूलवाद संख्या 105/2016 दिनांक– को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)/
त्वरित न्यायालय/जे०एम०, कासगंज।
JO CODE – UP4824